फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मोडीबाई **बनाम** **विपक्षी : श्री राधेश्याम व अन्य**

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 64 / 24**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3 अनुपस्थित है। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नही किया। विपक्षी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकन नहीं होने से पक्षकारो में आये दिन विवाद होता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी के मौके पर विपक्षी की आराजी संख्या 1298 में आने जाने हेतु उत्तरी दिशा में स्थित प्रार्थनाग्रस्त आराजी संख्या 1299 में मौके पर रास्ता स्थित हैं एवं राजस्व रेकर्ड में भी रास्ता अंकित है। विपक्षी संख्या 1 व उसके पुर्वाधिकारी उक्त रास्ते का उपयोग सदीयों से करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा पुर्व में इसी आराजी का एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है जो विचाराधीन हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 को हेरान, परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा व सहखातेदारों द्वारा एक प्रार्थना पत्र 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर रखा है जो माननीय न्यायालय मे विचाराधीन हैं जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षीगण द्वारा प्रा[illegible] भूमि पर रास्ता होना बताया जिसका उपयोग अपनी आराजीयात [illegible] हेतु एक प्रार्थना पत्र 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] बताया जो [illegible] में विचाराधीन हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजी [illegible] 1299 [illegible] 0.0300 है, भूमि वर्तमा[illegible] राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर किस्म बाडा के रूप में अंकित हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार हैं जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराये जाने का पुर्ण अधिकार हैं। विपक्षीगण द्वारा अपनी भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थनाग्रस्त भूमि से रास्ता चाहा गया हैं व प्रकरण विपक्षी के कहे अनुसार विचाराधीन हैं जिसका वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:23:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता हैं। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण, विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सर्शत स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम के सर्शत स्वीकार किया जाता है कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बासंडा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 645 की आराजी न. 1295 रकबा 0.0300 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:23:59 IST
Reason: SelfAttested